अध्याय – 5
जल कर

अध्याय 5
जल कर

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

जल संसाधन विभाग के 18 संभागों में **''जल कर का निर्धारण एवं संग्रहण''** विषय पर आधारित लेखापरीक्षा फरवरी 2017 से जून 2017 की अवधि के दौरान की गई और ₹ 1,627.54 करोड़ की अनियमिततायें पाई गईं। विभाग ने ₹ 1,626.24 करोड़ की अनियमितताओं को स्वीकार किया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

5.2 "जल कर का निर्धारण और संग्रहण" की लेखापरीक्षा

5.2.1 परिचय

मध्यप्रदेश में जल संसाधन विभाग (विभाग) सिंचाई और गैर सिंचाई उद्देश्यों के लिए जल कर के निर्धारण और संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। जल कर का निर्धारण और संग्रहण मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 और उसके अध्यधीन निर्मित मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974 द्वारा शासित होता है।

उपर्युक्त अधिनियम/नियमों के तहत, सिंचाई, औद्योगिक उपयोग और घरेलू जल आपूर्ति के उद्देश्य के लिए जल लिया जा सकता है। जल संसाधन संभागों और स्थानीय निकायों, उद्योगों और किसानों के बीच समझौतों/करारों के माध्यम से जल प्रदान किया जाता है।

जमाबंदी पंजी[1] जल कर की गणना के लिए प्रारंभिक और मूल अभिलेख है जिसे खसरा[2] के आधार पर तैयार किया जाता है। सिंचाई के उद्देश्यों के लिए सिंचित की जाने वाली कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर) के आधार पर जल कर आरोपित किया जाता है, जबकि गैर–सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की उपयुक्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिये मापक उपकरणों का संस्थापन किया जाता है। जल के अनाधिकृत उपयोग के लिए अतिरिक्त दरों पर भुगतान तथा जल कर का भुगतान न करने पर ब्याज वसूलने के प्रावधान हैं। जल कर के बकाया की वसूली भू–राजस्व के बकाया की वसूली की तरह की जावेगी[3]।

5.2.2 संगठनात्मक संरचना

विभाग का नेतृत्व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव और विभागीय स्तर पर प्रमुख अभियंता (ई–इन–सी) द्वारा किया जाता है। मुख्य अभियंता और अधीक्षण यंत्री क्रमशः क्षेत्रीय कार्यालयों और वृत्त कार्यालयों के प्रमुख होते हैं जबकि फील्ड कार्यालयों अर्थात संभागीय कार्यालयों और उप संभागीय कार्यालयों के प्रमुख क्रमशः कार्यपालन यंत्री और उप संभागीय अधिकारी होते हैं। उप संभागीय अधिकारी, सिंचाई निरीक्षक और अमीन[4] सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले जल पर कर के निर्धारण और संग्रहण के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं।

---

[1] जमाबंदी पंजी में भूस्वामियों के नाम, भूमि का क्षेत्र, भूस्वामियों की भागीदारी और उनके अधिकार दर्शाये जाते है। यह खेती, किराया और राजस्व एवं भूमि पर देय अन्य उपकरों को भी इंगित करता है

[2] जमीन और फसल संबंधी विवरण दर्शाने वाला एक कृषि अभिलेख

[3] मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 की धारा 61

[4] अमीन खसरा तैयार करते हैं जो किसानों से वसूले जाने वाले जल कर के आकलन का आधार होता है

5.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्याः

- जल कर के निर्धारण और संग्रहण की प्रणाली कुशल और प्रभावी थी;
- जल कर की वसूली के लिए एक पर्याप्त राजस्व वसूली प्रणाली विद्यमान थी; तथा
- विभाग का एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र स्थापित है।

5.2.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित नियमों/अधिनियमों/अधिसूचनाओं से व्युपत्रित हैः

- मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931;
- मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974;
- मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता;
- मध्यप्रदेश कोषालय संहिता तथा
- समय–समय पर शासन/विभाग द्वारा जारी आदेश/अधिसूचनाएं।

5.2.5 कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि

जल कर वसूली से सम्बद्ध 86 जल संसाधन संभागों में से यादृच्छिक नमूना पद्धति के आधार पर 18 जल संसाधन संभागों[5] को चुना गया था। फरवरी 2017 और जून 2017 के मध्य 2012–13 से 2016–17 की अवधि के लिए 18 जल संसाधन संभागों के अभिलेखों की जाँच की गई थी और क्षेत्रीय कार्यालयों से जानकारी एकत्र कर जाँच की गई थी।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों और कार्यक्षेत्र पर चर्चा करने हेतु 4 अप्रैल 2017 को आयोजित आगम सम्मेलन में जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। 27 अक्टूबर 2017 को आयोजित एक निर्गम सम्मेलन में विभाग के प्रमुख सचिव के साथ निष्कर्षों पर चर्चा की गई। विभाग द्वारा निर्गम सम्मेलन में दिए गए उत्तर एवं फरवरी 2018 में दिए गए विस्तृत उत्तर (उद्योगों से संबंधित मुद्दों पर) को यथोचित रूप से शामिल किया गया है।

विभाग नमूना जाँच किये गये संभागों में इंगित की गई अनियमितताओं की आवृत्ति अन्य संभागों में भी पाई जाने की संभावना की जाँच हेतु अन्य इकाईयों के अभिलेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा कर सकता है व सुधारात्मक कार्यवाही कर सकता है।

अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रदान करने में विभाग के सहयोग को अभिस्वीकृति दी जाती है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

5.2.6 राजस्व कर्मचारियों की कमी

मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावली प्रत्येक 800 हेक्टेयर भूमि के लिए एक अमीन और हर 10 अमीन के लिए एक सिंचाई निरीक्षक प्रस्तावित करती है।

[5] अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, दतिया, दमोह, देवलोंद, इन्दौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, नसरूल्लागंज, सीहोर, सीवनी मालवा, शिवपुरी, सोहागपुर, सिंगरौली, उमरिया और उज्जैन

लेखापरीक्षा ने पाया कि 18 जल संसाधन संभागों के अन्तर्गत 5,50,757 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध था, आवश्यक 688 अमीन और 72 सिंचाई निरीक्षकों के विरूद्ध, इन संभागों में केवल 195 अमीन और पांच सिंचाई निरीक्षक पदस्थ थे।

कर्मचारियों की कमी के कारण राजस्व वसूली और अनुवर्ती कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विभाग ने मानदंडों के अनुसार राजस्व कर्मचारियों (अमीन एवं सिंचाई निरीक्षकों) की स्थिति का आंकलन कर तदनुसार नियुक्तियाँ नहीं की थी।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया ।

अनुशंसा :

शासन कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

5.2.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। संभागीय कार्यालयों में संधारित स्थापना एवं निर्माण कार्य संबंधी अभिलेख, नियंत्रण कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा जाँचे जाते हैं।

कार्यपालन यंत्री द्वारा केवल राजस्व वसूली के प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेजे जा रहे थे, लेकिन किसानों और स्थानीय निकायों द्वारा अनुबंध के निष्पादन के बिना जल लेने तथा जल कर के भारी बकाया के संग्रह पर विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा उपचारात्मक कदम नहीं उठाया गया था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान, विभाग ने आश्वासन दिया कि आंतरिक नियंत्रण के मुद्दे को सभी श्रेणियों में राजस्व वसूली तंत्र को मजबूत करने के लिए उचित रूप से संबोधित किया जाएगा। लेखापरीक्षा में इस संबंध में प्रगति पर निगरानी रखी जाएगी।

5.2.8 जल कर का लक्ष्य एवं वसूली

पिछले पाँच वर्षों के दौरान जल कर की कुल वसूली योग्य राशि के विरूद्ध विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और वसूल की गई राशि **तालिका 5.1** में दी गई है।

तालिका 5.1

जल कर के लक्ष्य और वसूली का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली का लक्ष्य (कुल माँग का प्रतिशत)	वसूली			अन्तिम शेष
					बकाया माँग के विरूद्ध	चालू माँग के विरूद्ध	कुल (लक्ष्य का प्रतिशत)	
2012–13	577.86	378.13	955.99	328.90 (34.40)	36.33	238.69	275.02 (83.62)	680.97
2013–14	680.96	119.91	800.87	316.71 (39.55)	22.65	54.49	77.14 (24.36)	723.73
2014–15	723.73	229.30	953.03	313.40 (32.88)	19.00	62.20	81.20 (25.91)	871.83
2015–16	871.83	238.07	1,109.90	406.47 (36.62)	14.94	50.29	65.23 (16.05)	1,044.67
2016–17	1,044.67	127.57	1,172.24	414.28 (35.34)	18.65	56.39	75.04 (18.11)	1,097.20

(स्रोतः कार्यालय प्रमुख अभियंता द्वारा प्रदान किये गए आँकड़े)

इससे यह स्पष्ट है कि कुल माँग में वृद्धि के बावजूद विभाग ने 2012–13 के बाद से राजस्व वसूली का लक्ष्य 40 प्रतिशत से नीचे रखा जबकि वास्तविक वसूली 2013–14 से 2016–17 की अवधि के दौरान वसूली लक्ष्य के 16 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक थी।

नस्तियों की जाँच से पता चला कि जल कर वसूली के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए शासन के कोई आदेश या कोई विभागीय निर्देश नहीं थे। इसके अतिरिक्त 2013–14 से 2016–17 की अवधि के दौरान माँगों और लक्ष्यों में गिरावट और उतार–चढ़ाव के कारण लेखापरीक्षा को विभागीय नस्तियों से ज्ञात नहीं हो सके।

माँग के आँकलन के तरीके के बारे में पूछे जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (अगस्त 2017) कि माँग का निर्धारण बजट प्रावधानों, पिछले वर्षों में की गई वसूली और सिंचित की जानेवाली भूमि के आधार पर किया जाता है। हालांकि माँग और लक्ष्यों में असामान्य गिरावट और उतार चढ़ाव के बारे में जवाब प्रदान नहीं किया गया था।

अनुशंसा :

माँग के आँकलन और जल कर वसूली के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए विभाग उपयुक्त तंत्र का निर्माण कर सकता है।

5.2.9 सिंचाई पंचायतों का गठन नहीं किया जाना

18 संभागों में से किसी ने भी सिंचाई पंचायतों, जिन्हें जल कर की वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी, का गठन नहीं किया था।

मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम किसानों से जल कर संग्रहण के उद्देश्य से नहर के कमांड क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम अथवा ग्राम के समूह के लिए सिंचाई पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है।

अधिनियम के अनुसार, कार्यपालन यंत्री को सिंचाई पंचायत में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या के अतिरिक्त चुनाव प्रक्रिया के संचालन बाबत् एक सिंचाई निरीक्षक की नियुक्ति करने की जिला कलेक्टर को अनुशंसा करनी होगी। सरपंच जो कि सिंचाई पंचायत का प्रमुख होता है, को किसानों को पर्चा या माँगपत्र वितरित करना, किसानों से जल कर सग्रंह करना, किसानों को पावती देना और सरकार को कर जमा करना होता है। इस प्रकार सिंचाई पंचायतें जल कर के संग्रह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नमूना लेखापरीक्षा ने 18 संभागों के अभिलेखों की जाँच में पाया कि किसी भी संभाग ने सिंचाई पंचायतों का गठन नहीं किया। कार्यपालन यंत्रियों ने सिंचाई पंचायतों के गठन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जिसके कारण राजस्व वसूली प्रक्रिया कमजोर हुई जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2012–13 से 2016–17 की अवधि के लिए किसानों से ₹ 162.13 करोड़ की जल कर राशि बकाया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि सिंचाई पंचायत की व्यवस्था शुरू में प्रावधान के अनुसार प्रारम्भ की गई थी लेकिन त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था। हालांकि विभाग ने आश्वासन दिया कि सिंचाई पंचायत के गठन के मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाएगा ताकि सभी श्रेणियो में राजस्व वसूली तंत्र को मजबूत किया जा सके। इस संबंध में प्रगति की निगरानी लेखापरीक्षा में रखी जाएगी।

5.2.10 न्यूनतम जल कर की वसूली न होना

₹ 17.13 करोड़ की न्यूनतम जल कर की राशि वसूल न किया जाना।

जल संसाधन संभागों और उद्योगों के बीच निष्पादित अनुबंधों के अनुसार संबंधित उद्योग जल की अनुमत्य मात्रा के कम से कम 90 प्रतिशत (समझौते में दिखाए गए प्रभावी तिथियों और मात्रा के अनुसार) के लिए जल कर का भुगतान करेगा भले ही कंपनी द्वारा ली गई जल की वास्तविक मात्रा स्वीकृत मात्रा के 90 प्रतिशत से कम हो।

जल संसाधन संभाग, अनूपपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि मैसर्स मोज़रबीयर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सालाना 75.60 एमसीएम[6] जल लेने के लिए अनुबंध (अक्टूबर 2014) निष्पादित किया था। हालांकि, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर कंपनी द्वारा लिये गये जल की मात्रा या अनुमत्य मात्रा का 90 प्रतिशत, जो भी अधिक था, के लिए देयक जारी करने में असफल रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 17.13 करोड़ के न्यूनतम जल कर की वसूली नहीं हुई।

विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2018) कि जल के 90 प्रतिशत मात्रा के आधार पर देयक जारी किये गए हैं। इस संबंध में प्रगति की निगरानी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

5.2.11 एन.टी.पी.सी. से दाण्डिक जल कर की वसूली न होना

एन.टी.पी.सी., जो 48 महीने के निर्दिष्ट अवधि के भीतर औद्योगिक उत्पादन शुरू करने में विफल रहा था, से ₹ 1.30 करोड़ का दाण्डिक जल कर वसूल नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974 के नियम 71 अ (31 अगस्त 2016 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधित) के उपनियम 3(सी) के अनुसार, एक औद्योगिक इकाई अगर जल आवंटन आदेश की तिथि से 48 महीनों के भीतर औद्योगिक उत्पादन शुरू नहीं करती है तो जल की वार्षिक आवंटित मात्रा पर देय जल कर के पाँच प्रतिशत के समतुल्य जल कर का भुगतान करेगी।

जल संसाधन हिरन संभाग, जबलपुर द्वारा जून 2009 में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी), नई दिल्ली को प्रति वर्ष 111.64 एम.सी.एम. जल प्राप्त करने के लिए जल आवंटन आदेश जारी किया गया था। आगे, एनटीपीसी और विभाग के बीच डोंगरगांव, गाडरवाड़ा में इसके 4 x 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए 30 अप्रैल 2015 को उक्त तिथि से 30 वर्षों तक के लिए अनुबंध निष्पादित किया गया था।

एनटीपीसी 48 महीने की निर्दिष्ट अवधि अर्थात 12 जुलाई 2016 तक, संयंत्र से औद्योगिक उत्पादन शुरू करने में असफल रहा और इसलिए 12 जनवरी 2018 तक 18 महीने के विलम्ब के लिए ₹ 1.30 करोड़[7] का भुगतान करना आवश्यक था लेकिन कार्यपालन यंत्री ने दाण्डिक जल कर के आरोपण और वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की थी।

विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2018) कि एनटीपीसी को अगस्त 2018 तक समयवृद्धि (अक्टूबर 2017) दी गई है और उत्पादन शुरू करने में विफल रहने पर प्रावधानों के अनुसार ₹ 1.85 करोड़ की राशि वसूल की जाएगी।

---

[6] मिलियन क्यूबिक मीटर

[7] 11,16,40,000 क्यूबिक मीटर (जल की अनुबंधित मात्रा) x ₹ 1.55 (दर प्रति क्यूबिक मीटर) x 5 प्रतिशत x 11/2 वर्ष = ₹ 1,29,78,150 (लगभग ₹ 1.30 करोड़)

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समयवृद्धि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद दी गई थी। साथ ही, नियम 71 अ का उपनियम 3(सी) दाण्डिक जल कर के भुगतान से छूट प्रदान नहीं करता है।

5.2.12 बकाया जल कर की वसूली न होना

जल संसाधन संभाग उद्योगों, घरेलू जल आपूर्ति इकाईयों (स्थानीय निकायों) और किसानों से ₹ 1,489.67 करोड़ बकाया जल कर की वसूली में असफल रहा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उद्योगों, घरेलू जल आपूर्तिकर्ताओं और किसानों से ₹ 1,489.67 करोड़ का जल कर निम्नानुसार बकाया (मार्च 2017) था:

5.2.12.1 उद्योगों से बकाया जल कर

मानक अनुबंध की धारा 12 के अनुसार उद्योग, पिछले महीने के दौरान ली गई जल की मात्रा के लिये मासिक देयकों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर जल कर का भुगतान करेंगे, भुगतान की देय तिथि से छह महीने तक देयकों का भुगतान न करना अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, शासन अनुबंध को तुरंत समाप्त कर सकता है और कंपनी द्वारा देय और बकाया राशि कंपनी से भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूली योग्य होगी।

सात जल संसाधन संभागों[8] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि 10 उद्योगों की 11 इकाईयाँ अनुबंधों के अन्तर्गत जल ले रहीं थी लेकिन समय पर जल कर का भुगतान नहीं कर रही थीं। मासिक देयकों और विवरणियों की जाँच में पाया गया कि अप्रैल 1988 से मार्च 2017 तक की अवधि में ब्याज सहित ₹ 506.34 करोड़ जल कर वसूली के लिए लंबित (मार्च 2017) था।

कार्यपालन यंत्रियों ने कंपनियों को मासिक देयक जारी किये थे परन्तु देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जल की आपूर्ति रोकने या अनुबंधों को समाप्त करने जैसे उपायों को नहीं अपनाया गया था।

विभाग ने बताया (फरवरी 2018) कि बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में प्रगति की निगरानी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

5.2.12.2 याचिका के निरस्त होने के बाद कम्पनी से जल कर वसूल न होना

जल संसाधन संभाग, अनूपपुर में जून 1998 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिये मेसर्स ओरिएंट पेपर मिल, अमलाई से वसूली के लिए ₹ 771.06 करोड़ की राशि लंबित थी।

कंपनी ने सितंबर 1970 में सोन नदी से जल लेने के लिए विभाग के साथ एक अनुबंध किया था जबकि जल कर अस्तित्व में नहीं था। हालांकि अनुबंध की धारा 10 विभाग को अधिकृत करती थी कि भविष्य में जल कर की वसूली का निर्णय लेने पर वह उसकी वसूली कर सकेगा। बाद में 6 मई 1998 के राजपत्र अधिसूचना के अधिसूचित प्रावधानों के अनुपालन में विभाग ने जून 1998 से कंपनी से जल कर की माँग की। इससे क्षुब्ध होकर कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिन्हें उक्त न्यायालयों ने क्रमशः जनवरी 2009 और मार्च 2009 में निरस्त कर दिया।

---

[8] जल संसाधन संभाग क्रमाक 2 सिंगरौली, बाणसागर पक्का बाँध संभाग देवलोंद, तवा परियोजना संभाग इटारसी, जल संसाधन हिरण संभाग जबलपुर, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जल संसाधन संभाग उज्जैन और जल संसाधन संभाग अनूपपुर

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका निरस्त किये जाने के बाद भी कार्यपालन यंत्री ने जल कर की वसूली के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया।

विभाग ने बताया (फरवरी 2018) कि कंपनी ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को उद्धृत (फरवरी 2015) किया है तथा न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है (मई 2018)।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 11 फरवरी 2015 तक जल कर की वसूली पर कोई प्रतिबंध नहीं था जबकि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर ने प्रकरण को मध्यस्थ को उद्घृत करने का सुझाव दिया था और विभाग को कठोर कार्यवाही करने से रोका था। विभाग ने मध्यस्थता के सुझाव को स्वीकार नहीं किया तथा प्रकरण अन्तिम सुनवाई के लिये लम्बित है।

5.2.12.3 स्थानीय निकायों से बकाया जल कर

लेखापरीक्षा ने 18 जल संसाधन संभागों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि चार जल संसाधन संभागों[9] में छह स्थानीय निकायों ने विभाग के साथ अनुबंध निष्पादित कर जल लिया था। हालांकि, 31 मार्च 2017 को इन छह स्थानीय निकायों[10] से वसूली के लिए ₹ 158.03 करोड़ की राशि लंबित थी।

कार्यपालन यंत्रियों ने देयक जारी किये थे लेकिन बकाया राशि की वसूली के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए थे। उन्होंने न तो जल की आपूर्ति को बंद किया और न ही अनुबंध को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही ही की। नगर निगम, भोपाल के प्रकरण में प्रमुख अभियंता ने विभाग को सूचना (अप्रैल 2014) दी थी लेकिन अभिलेखों में आगे और कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान विभाग ने बताया कि बकाया जल कर की वसूली के प्रकरण पर ध्यान दिया जाएगा और उपयुक्त राजस्व वसूली तंत्र जल्द ही विकसित किया जाएगा। इस संबंध में प्रगति की निगरानी लेखापरीक्षा में रखी जाएगी।

5.2.12.4 किसानों से बकाया जल कर

16 जल संसाधन संभागों (अनुपपुर और दमोह के अतिरिक्त) में अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि किसानों ने सिंचाई हेतु जल लेने के लिए अनुबंध किए थे लेकिन समय पर जल कर का भुगतान नहीं कर रहे थे। चूककर्ता किसानों से ₹ 54.24 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी जैसा कि **तालिका 5.2** में वर्णित है।

तालिका 5.2

अनुबंध के अन्तर्गत जल लेने वाले किसानों से बकाया जल कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	किसानों की संख्या	जल कर			वसूली का प्रतिशत
		माँग	वसूली	बकाया	
2012–13	1,36,926	14.74	4.76	9.98	32.29
2013–14	1,44,982	15.99	4.25	11.74	26.58
2014–15	1,39,128	16.59	4.72	11.87	28.45
2015–16	1,40,561	17.11	4.28	12.83	25.01
2016–17	1,22,751	10.17	2.35	7.82	23.11
	योग	**74.60**	**20.36**	**54.24**	

(स्रोतः जल संसाधन संभागों द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

[9] जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, कोलार नहर संभाग नसरूल्लागंज, जल संसाधन संभाग उज्जैन और जल संसाधन सम्भाग इन्दौर

[10] नगर निगम छिंदवाड़ा, नगर निगम भोपाल, नगर निगम उज्जैन, नगर पंचायत तराना, नगर निगम नागदा और पी.एच.ई.डी. इन्दौर

लेखापरीक्षा को कार्यपालन यंत्रियों द्वारा उपर्युक्त बकाया राशि की वसूली के लिये उठाये गये कदमों की जानकारी संभागीय अभिलेखों से प्राप्त नहीं हो सकी।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान विभाग ने बताया कि बकाया जल कर की वसूली के प्रकरण पर ध्यान दिया जाएगा और उपयुक्त राजस्व वसूली तंत्र जल्द ही विकसित किया जाएगा। इस संबंध में प्रगति की निगरानी लेखापरीक्षा में रखी जाएगी।

अनुशंसा :

बकाया जल कर की वसूली को केन्द्रित करते हुये विभाग एक समर्पित वसूली प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकता है। विभाग अविलंब ऐसे बकाया वसूली के प्रकरणों का पुनरावलोकन कर सकता है और ऐसे प्रकरणों में जहाँ विभाग का मानना है कि राशियों की वसूली संभव नहीं है, वित्त विभाग को अपलेखन के विचारार्थ प्रस्ताव प्रेषित कर सकता है।

5.2.13 बिना अनुबंध के जल का अनियमित निकासी

तीन जल संसाधन संभागों ने बिना किसी अनुबंध के चार स्थानीय निकायों को जल उपलब्ध कराया था। उन स्थानीय निकायों से ₹ 11.55 करोड़ की राशि वसूली के लिए लंबित थी। इसके अतिरिक्त 18 जल संसाधन संभागों के 1.50 लाख से अधिक किसानों ने बिना किसी अनुबंध के जल लिया था और उनसे ₹ 107.89 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी।

5.2.13.1 बिना अनुबंध के स्थानीय निकायों को जल प्रदान करना

मध्यप्रदेश सिंचाई नियमों के अनुसार विभाग एवं संस्था के बीच हुये अनुबंधों के आधार पर निर्दिष्ट दरों पर किसी भी ग्रामीण जलाशय, शहर या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल प्रदान किया जा सकता है।

तीन जल संसाधन संभागों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया कि चार स्थानीय निकायों ने बिना किसी अनुबंध के शासकीय स्रोतों से जल लिया था। उन स्थानीय निकायों से वसूली के लिए ₹ 11.55 करोड़ की राशि लंबित थी जैसा कि **तालिका 5.3** में वर्णित है।

तालिका 5.3
बिना अनुबंध के जल लेने वाले स्थानीय निकायों से बकाया जल कर

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	जल संसाधन संभाग	स्थानीय निकायों के नाम	अवधि	राशि
1.	इन्दौर	नगर परिषद, मानपुर	2009–14	0.12
2.	सीहोर	नगर निगम, सीहोर	2000–16	7.11
		नगर निगम, आष्टा	2000–16	4.17
3.	दमोह	नगर निगम, दमोह	2014–16	0.15
			योग	**11.55**

(स्रोतः संबंधित जल संसाधन संभागों द्वारा प्रदान किये गये आँकड़े)

कार्यपालन यंत्रियों ने उपर्युक्त संस्थाओं के साथ अनुबंध निष्पादित करने का कोई प्रयास नहीं किया था। यद्यपि माँग पत्र जारी किए गए थे तथापि उनसे जल कर की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान विभाग ने बताया कि बकाया जल कर की वसूली के प्रकरण पर ध्यान दिया जाएगा और उपयुक्त राजस्व वसूली तंत्र जल्द ही विकसित किया जाएगा। इस संबंध में प्रगति की निगरानी लेखापरीक्षा में रखी जाएगी।

5.2.13.2 बिना अनुबंध के किसानों को जल उपलब्ध करना

मध्यप्रदेश सिंचाई नियमों के अनुसार, उन प्रकरणों को छोड़कर जिन्हें इन नियमों के अन्तर्गत मुक्त किया गया है, किसी भी नहर से तब तक सिंचाई नहीं की जा सकेगी जबतक कि मध्यप्रदेश शासन और भूमि के स्थायी धारक के बीच अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है। अनुबंध के बिना की गई सिंचाई को अनाधिकृत माना जाएगा और भूमिधारक मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम के अन्तर्गत सजा पाने और कर निर्धारण के लिए उत्तरदायी होगा।

सभी चयनित जल संसाधन संभागों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि 1.50 लाख से अधिक किसान बिना कोई अनुबंध निष्पदित किए जल ले रहे थे। उन अनधिकृत किसानों से ₹ 107.89 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी जैसा कि **तालिका 5.4** में वर्णित है।

तालिका 5.4
बिना अनुबंध के जल लेने वाले किसानों से बकाया जल कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	किसानों की संख्या	जल कर			वसूली का प्रतिशत
		माँग	वसूली	बकाया	
2012–13	2,03,946	24.00	3.33	20.67	13.88
2013–14	2,10,483	26.49	2.87	23.62	10.83
2014–15	2,14,069	29.20	3.56	25.64	12.19
2015–16	1,82,327	21.20	2.64	18.56	12.45
2016–17	1,49,457	20.96	1.56	19.40	7.44
	योग	**121.85**	**13.96**	**107.89**	

(स्रोतः जल संसाधन संभागों द्वारा प्रदान किया गया डाटा)

कार्यपालन यंत्रियों ने उन किसानों के साथ अनुबंध निष्पादित किये जाने या किसानों को अनाधिकृत तरीके से जल लेने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान, विभाग ने स्वीकार किया कि किसानों के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिए। बकाया जल कर की वसूली के संबंध में यह बताया गया कि प्रकरण पर ध्यान दिया जाएगा और उपर्युक्त राजस्व वसूली तंत्र जल्द ही विकसित किया जाएगा। इस संबंध में प्रगति की निगरानी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

5.2.14 निष्कर्ष

- विभाग में अमीन और सिंचाई निरीक्षकों, जो मुख्य रूप से जल कर के निर्धारण और संग्रहण के लिए उत्तरदायी थे, की कमी थी।
- मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 के तहत जल कर संग्रह के लिए उत्तरदायी सिंचाई पंचायतें गठित नहीं की गई।
- कंपनियों पर ₹ 1,277.40 करोड़ की, एक वृहद राशि बकाया थी लेकिन कार्यपालन यंत्रियों द्वारा जल की आपूर्ति रोकने और करार को समाप्त करने जैसी कार्यवाही नहीं की गई थी।
- संभागीय अधिकारियों द्वारा अनुमत्य जल आपूर्ति और जल कर आरोपण को नियंत्रित करने के लिये किसानों के साथ अनुबंध नहीं किये गये थे।